

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:पं0 4(1)चिस्वा/2/24/987

दिनांक:

आदेश

डॉ किशोरी लाल (जन्मतिथी 09.10.1983) चिकित्सा अधिकारी को स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर कार्यग्रहण की अनुमति निदेशालय में आदेशों की प्रतीक्षा में इस शर्त के अध्वधीन प्रदान की जाती है कि स्वैच्छा से अनुपस्थित अवधि से पुनः कार्यग्रहण करने तक की अवधि को अनुपस्थित मानते हुये सीसीए नियम 16 में कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

(निशा मीना)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— निदेशक जन स्वा0, जयपुर को भेजकर लेख कि डॉ किशोरी लाल, चिकित्सा अधिकारी को कार्यग्रहण कराने का श्रम करावे तथा अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
- 2— डॉ किशोरी लाल, चिकित्सा अधिकारी जरिये निदेशक, जन स्वा0, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव

Signature valid



Digitally signed by Nisha Meena  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2025.01.08 19:22:10 IST  
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चिअ/के-987/2025/37

दिनांक : 20/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके राजकाज नं 12838804 दिनांक 08.01.2025 के क्रम में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय/एटी/डीपीसी राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
5. डॉ0 किशोरी लाल चिकित्सा अधिकारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करावे।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

अति. निदेशक (राजपत्रित),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

Signature valid



Digitally signed by Dr. Sushil Kumar  
Parmar  
Designation: Additional Director  
Date: 2025.01.18 21:37:07 IST  
Reason: Approved